

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(7)नविवि/भीनमाल/2022

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.03.2022 द्वारा अधिसूचित **भीनमाल** के नगरीय क्षेत्र हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये **भीनमाल** मास्टर प्लान-2041 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त **भीनमाल** मास्टर प्लान-2041 की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, भीनमाल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव –प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जालोर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. प्रौग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव –प्रथम

RajKaj Ref
10056936

